बिहार लोक सेवा आयोग,
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में क्रमशः सहायक प्राध्यापक एवं व्याख्याता से सम्बन्धित नियुक्ति नियमावलियों को कतिपय उम्मीदवारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 6884/2022 एवं CWJC No. 6930/2022 दायर कर चुनौती दी गई है।

उक्त वादों की सुनवाई के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 13.05.2022 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:–

"We clarify that pendency of the petition shall not come in the way of the respondents completing the process of selection and appointment. However, such of those candidates who are selected and appointed shall be informed of the pendency of the present petition, for such process shall be subject to the outcome of the present petition and they shall not claim any equity."

उल्लेखनीय है कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक से सम्बन्धित नियुक्ति में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एक अन्य मामले (CWJC No. 10396/2021) में दिनांक 20.04.2022 को निम्न आदेश पारित किया गया है:–

"Appointment, if any, shall be subject to the decision of this Case."

उक्त आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों से सम्बन्धित चयन/नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित सहायक प्राध्यापक एवं व्याख्याता से सम्बन्धित सभी विज्ञापनों के सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उक्त सभी विज्ञापनों के तहत चयन/नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लम्बित उक्त वादों में पारित होने वाले अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।

16.6.22

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना